"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 374] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 सितम्बर 2016— आश्विन 7, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2016

क्रमांक 9205/डी. 228/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण(संशोधन) अध्यादेश, 2016 (क्रमांक 2 सन् 2016) एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 2 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2016

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्र. 19 सन् 2012) को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यत: राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जिसके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2016 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्र 19 सन् 2012) को अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 (क्र. 19 सन् 2012) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), इस अध्यादेश की धारा 3 में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए, प्रभावी होगा.

धारा 6 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) में, शब्द "राज्य शासन" के पश्चात्, शब्द "उच्च न्यायालय के परामर्श से" प्रतिस्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 29 सितम्बर 2016

क्रमांक 9205/डी. 228/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29-09-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE

(No. 2 of 2016)

THE CHHATTISGARH RENT CONTROL (AMENDMENT) ORDINANCE, 2016

An Ordinance further to amend the Chhattisgarh Rent Control Act, 2011 (No. 19 of 2012).

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Rent Control (Amendment) Ordinance, 2016.

   (2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

   (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

The Chhattisgarh Rent Control Act, 2011 (No. 19 of 2012) to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Chhattisgarh Rent Control Act, 2011 (No. 19 of 2012) (hereinafter referred to as the Principal Act), shall have the effect, subject to the amendment specified in Section 3 of this Ordinance.

Amendment of Section 6.

3. In sub-section (2) of Section 6 of the Principal Act, after the words "State Government", the words "in consultation with the High Cort" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.